www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 530

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 43 अंक 21 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 25 - 31 अगस्त 2018 | ₹ 12.00

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता, विचार और चिंतन

प्रेरणा का शाश्वत स्रोत

जन-जन के नेता, वयोवृद्ध नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में देहावसान हो गया. 93 वर्षीय वरिष्ठ नेता ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान - एम्स में अंतिम सांस ली.

स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री के रूप में एक समृद्ध धरोहर है, जिसे स्मरण किया जाएगा और संजोकर रखा जाएगा. वे एक प्रखर राष्ट्रीय नेता, विद्वान राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ समाजसेवी, सशक्त वक्ता, कवि और साहित्यकार, पत्रकार और वास्तव में बहुआयामी व्यक्तित्व थे.

नीचे उनके उस भाषण के कुछ अंश दिए गए हैं, जो उन्होंने उस समय दिया था, जब विश्व नई सदी में प्रवेश कर रहा था. यह भाषण प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित ''सेलेक्टिड स्पीचेज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी - (वाल्यूम-2)'' नामक पुस्तक में संकलित है. उनके भाषण में निहित दूरदर्शिता और विचार निरंतर प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे.

(25 दिसंबर, 1924- 16 अगस्त, 2018)

''20वीं सदी में अंतिम सूर्यास्त के साथ ही मानव इतिहास के एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है. यह खुशी और उत्सव का मौका है. सभी राष्ट्र मिल कर अधिक धैर्य, प्रौद्योगिकी, ताकत और बुद्धिमता के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं. भारत दुनिया को आतंकवाद, जो मानवता के खिलाफ एक अपराध है, से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मदद करेगा. नई सदी के लिए यह हमारा प्रथम संकल्प है. आतंकवाद के साथ ही गरीबी और निरक्षरता का अभिशाप भी दूर करना होगा. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक भारतीय का अपना घर हो और निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी गरिमापूर्ण जीवन जीये. हमें जाति, भाषा और धर्म के बंधन तोड़ने होंगे. हमें वे कृत्रिम दीवारें मिटानी होंगी, जो भारतीय को भारतीय से अलग करती हैं. हमें सभी तरह का भेदभाव, विशेष रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त करना होगा. नए समाज के निर्माण की कुंजी तीव्र आर्थिक विकास और तीव्र सामाजिक परिवर्तन में निहित है. हमें समानता के साथ विकास सुनिश्चित करना होगा, ताकि भारत की खुशहाली का लाभ प्रत्येक भारतीय को मिले. भारत एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनेगा, जो सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे और उसकी देखभाल करे. नई सदी के लिए यह हमारा दूसरा संकल्प हो सकता है. हमें व्यक्तियों के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर उत्कृष्ट बनना है. हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम प्रतिभा है. हमारे खिलाड़ी विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझे गए हैं. हमारे शिक्षकों की दुनिया के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में मांग है. हमारे किसान विषम परिस्थितियों मे फसल उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित

(शेष पृष्ठ 4 पर)

रोज़गार सारांश

बैं.का.च.सं.

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान को **4252** परिवीक्षाधीन अधिकारियों, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 4.9.2018

पृष्ठ: 38-45

सीसीएल

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को **480** माइनिंग सिरदार तथा इलेक्ट्रिशियन (नॉन- एक्सकेवेशन) की आवश्यकता

अंतिम तारीख : 20.9.2018

पृष्ठ: 20-22

एमटीएनएल

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड **38** सहायक प्रबंधकों की आवश्यकता

अंतिम तारीख : 27.9.2018

पृष्ठ: 10-11

Follow us @àßmploy_News

facebook page
facebook.com/director.employmentnews

दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में कॅरिअर

देवनंदन कुमार एवं डॉ. तनु टंडन

अध्ययन के बहुत से ऐसे विषय एवं विधाएं हैं जिनकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं. इनमें से प्रत्येक विषय मनुष्य से कहीं न कहीं जुड़ा होता है. किंतु एक विषय ऐसा है जो पूरी तरह से मनुष्य के बारे में है, जी हां, हम दिव्यांगजन अध्ययन की बात कर रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा शामिल है. यह विषय कॅरिअर का ऐसा क्षेत्र है जो अध्यापन की धुन एवं दिव्यांगजन से लगाव एवं सहानुभूति रखने वालों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है.

दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा को, विभिन्न दिव्यांगता- चाहे वह लोको मोटर दिव्यांगता, दृष्टिबाधा, श्रवण बाधा, स्थायी तंत्रिक रोग, रक्त विकारों से प्रभावित, विकास विकारों, मानसिक रुग्णता या बहु दिव्यांगता हो, इनसे ग्रस्त व्यक्तियों विशेषिकृत प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में समझा जा सकता है. दिव्यांगजनों को विशेष रूप प्रशिक्षित व्यवसायियों द्वारा प्रशिक्षण एवं शिक्षा देने की आवश्यकता होती है. यह क्षेत्र दिव्यांग बच्चों एवं व्यस्कों के अध्यापन तथा शिक्षा और पाठ्यक्रम विकास सहित कॅरिअर के विभिन्न अवसर देता है. पुनर्वास व्यवसायी या विशेष शिक्षा शिक्षक वह होता है जो विभिन्न दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों तथा युवकों को पढ़ाने तथा संव्यवहार करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, पुनर्वास व्यवसायी या विशेष शिक्षा प्रशिक्षकों की आवश्यकता विभिन्न दिव्यांगजनों के लिए होती है, चाहे वे लोकोमोटर दिव्यांगता, दृष्टि बाधा, श्रवण बाधा, स्थायी तंत्रिका रोगों, रक्त विकारों, विकास विकारों, मानसिक रोगों या विविध दिव्यांगता से ग्रस्त हों, इन दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चे किसी पारम्परिक या सामान्य कक्षा परिवेश में शिक्षा लेने में असमर्थ होते हैं. इन छात्रों को विशेष शिक्षा कक्षाएं एक विकल्प या शिक्षा लेने का बेहतर अनुभव देती हैं.

पुनर्वास व्यवसायी या विशेष शिक्षा अध्यापक लोकोमोटर दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग स्थायी तंत्रिका दिव्यांग, विकास विकारों, मानसिक रुग्णता एवं बहु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं. ये व्यवसायी उन्हें पढ़ाते हैं और स्वतंत्र जीवन कौशल तथा संचार कौशल सहित बुनियादी पुनर्वास सेवाएं देते हैं. विशेष शिक्षा अध्यापकों का कार्य भावात्मक रूप से दक्षतापूर्ण एवं शारीरिक रूप से ड्रेनिंग का हो सकता है, मानसिक या भावात्मक दिव्यांग छात्र किसी अध्यापक की निराशा का कारण हो सकते हैं. किसी विशेष शिक्षा अध्यापक को मानव मनोविज्ञान तथा भावनाओं की ठोस जानकारी भी होनी चाहिए.

भारत में दिव्यांगजनों की संख्या

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.68 मिलियन दिव्यागजन हैं. (जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं) कुल दिव्यांगजनों में 1.50 मिलियन पुरुष एवं 1.18 मिलियन महिलाएं हैं. इन दिव्यांगजनों में दृष्टि, श्रवण, स्पीच एवं लोकोमोटर दिव्यांग, मानसिक रोग, मानसिक अवमंदन, बहु-दिव्यांग एवं अन्य दिव्यांगजन शामिल हैं. दिव्यागजनों की प्रतिशतता अमरीका में 12%, यू.के. में 18%, जर्मनी में 9%, श्रीलंका में 5% और पाकिस्तान में 9% है. यह भिन्नता दिव्यांगता का अनुमान लगाने के हमारे तरीके के कारण है.

दिव्यांगता की प्रकृति	जनगणना 2011	
	जनसंख्या	प्रतिशतता
दृष्टि	50.32	18.8
श्रवण	50.71	18.9
स्पीच	19.98	7.5
गतिविधि	54.36	20.3
मानसिक अवमंदन	15.05	5.6
मानसिक रोग	7.22	2.7
बहु दिव्यांगता	49.27	7.9
कुल	**268.10**	**100**

(शेष पृष्ठ 52 पर)

दिव्यांगजन पुनर्वास...

(पृष्ठ 1 का शेष)

कॅरिअर के अवसर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की सिफारिशों के आधार पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय- भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) को दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा शिक्षा के लिए अपेक्षित पुनर्वास व्यवसायियों और विशेष शिक्षकों का विकास करने की नीति एवं कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2010 तथा इसमें 2012 में हुए संशोधन में दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षक एवं छात्रों का न्यूनतम अनुपात 1:30 रखा गया है. तथापि, आर.सी.आई. ने अब तक पूरे भारत में 745 आर.सी.आई. मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कॉलेज के माध्यम से कुल 16 विषयों के प्रमाणपत्र से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक के पाठ्यक्रमों में लगभग एक लाख व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया है और प्रशिक्षित व्यवसायियों एवं दिव्यांगजनों का वर्तमान अनुपात 1:266 है के लगभग है. दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यवसायियों की मांग तथा पूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है. पुनर्वास व्यवसायियों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब यू.जी.सी. और आर.सी.आई. उच्चतर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए मास्टर और डॉक्टरोल-दोनों स्तर के छात्र तैयार किए जा रहे हैं. मास्टर स्तर के छात्रों के लिए, भावी कॅरिअर में समाजसेवा एजेंसियों, समर्थन संगठनों, स्वतंत्र जीवन केन्द्रों, अभिभावक केन्द्रों, योजना परिषदों तथा सरकारी एजेंसियों में प्रशासनिक तथा नीति से जुड़े पद शामिल हैं. डॉक्टरल स्तर के छात्र विभिन्न शैक्षिक, अनुसंधान एवं नीति से संबंधित पदों के लिए तैयार किये जाते हैं. यद्यपि सभी छात्रों को दिव्यांगता अध्ययन में प्रशिक्षण दिया जाता है, किंतु प्रत्येक छात्र का अध्ययन कार्यक्रम उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि तथा रुचि के आधार पर अलग-अलग होता है.

पुनर्वास व्यवसायियों की श्रेणियां

वर्तमान प्रकार के दिव्यांगजनों की सेवा हेतु, आर.सी.आई. ने पुनर्वास व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में श्रेणीकृत किया है, जो निम्नानुसार है- ऑडियोलोजिस्ट एवं स्पीचथेरापिस्ट, स्पीच पैथोलोजिस्ट/स्पीच एंड हीयरिंग टेकनीशियन, हीयरिंग ऐड एवं इयर मोल्ड टेक्नीशियन, दिव्यांगजन शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु विशेष शिक्षक, पुनर्वास सलाहकार/प्रशासक, व्यावसायिक परामर्शदाता, रोज़गार अधिकारी एवं तैनाती अधिकारी, पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता, बहुद्देश्यीय पुनर्वास थेरापिस्ट/तकनीशियन, समुदाय आधारित पुनर्वास व्यवसायी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, मानसिक अवमंदन, पुनर्वास प्रेक्टिसनर, ऑरिएंटेशन एवं मोबिलिटी विशेषज्ञ, पुनर्वास इंजीनियर तथा तकनीशियन, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक.

स्व-रोज़गार

प्रशिक्षित व्यवसायियों की सेवाएं जिला मुख्यालय स्तर तक सीमित होती हैं. तथापि, ब्लॉक तथा उपमंडल स्तर पर पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा सेवाएं सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है. प्रशिक्षित व्यवसायियों की कमी के कारण सरकार पुनर्वास व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं है. हाल ही में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 14 और दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल किया गया है. इसलिए इन शामिल की गई श्रेणियों की सेवा हेतु कई और व्यवसायी श्रेणियों की आवश्यकता होगी.

दिव्यांगजन पुनर्वास पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम

नीचे दिए गए सभी पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान, सम्मिलित क्षेत्रीय, दिव्यांगजन केन्द्र (सी.आर.सी.), जैसे सरकारी क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों, सी.बी.एस.ई. स्कूल, अस्पताल, पुनर्वास केन्द्र आदि गैर सरकारी संगठन क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों में अच्छी भावी संभावनाओं के साथ योग्यताप्राप्त व्यवसायी के रूप में कार्य करने हेतु राज़गार के बहुत अच्छे अवसर हैं. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत वर्गों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	दिव्यांगता क्षेत्र	पाठ्यक्रम का नाम
1.	स्पीच एवं हीयरिंग	ऑडियोलोजी में एम.एस.सी., स्पीच लैंगुएज पैथोलोजी में एम.एस.सी., ऑडियोलोजी एवं स्पीच लैंगुएज पैथोलोजी में स्नातक. ऑडिटरी वर्बल थैरेपी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, वैकल्पिक तथा वर्धनात्मक संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, हीयरिंग लैंगुएज एवं स्पीच में डिप्लोमा, हीयरिंग ऐड रिपेयर तथा इयर मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा.
2.	दृष्टिबाधा	एम.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधा), बी.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधा), मोबिलिटी साइंस में स्नातक, बी.एड. विशेष शिक्षा (डेफ एवं ब्लाइंडनेस) (पायलट आधार पर) डीएड विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधा) डीएड-विशेष शिक्षा (डेफ एवं ब्लाइंड), कम्प्यूटर शिक्षा (दृष्टि बाधा) में डिप्लोमा.
3.	श्रवण बाधा	एम.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधा), बी.एड.- विशेष शिक्षा (श्रवण बाधा), डी.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधा), डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (हीयरिंग इम्पेयरमेंट), इंडियन साइन लैंगुएज इंटरप्रेटिंग में डिप्लोमा.
4.	मानसिक अवमंदन/ बौद्धिक दिव्यांगता	एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक अवमंदन) बी.एस-सी. (विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास), बी.एस-सी. विशेष शिक्षा (मानसिक अवमंदन), एकीकृत शिक्षा स्नातक-शिक्षा मास्टर, विशेष शिक्षा (बौद्धिक दिव्यांगता) पी.जी. डिप्लोमा-अर्ली इंटरवेंशन, डी.एड.- विशेष शिक्षा (मानसिक अवमंदन), डिप्लोमा- व्यावसायिक पुनर्वास (मानसिक अवमंदन) डिप्लोमा-अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)
5.	शिक्षण दिव्यांगता	एम.एड. विशेष शिक्षा (शिक्षण दिव्यांगता), बी.एड. विशेष शिक्षा (शिक्षण दिव्यांगता) एकीकृत शिक्षा स्नातक- शिक्षा मास्टर- विशेष शिक्षा (विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता)
6.	लोकोमोटर एवं सेरेब्रल पल्सी	एम.एड.- विशेष शिक्षा (बहु-दिव्यांगता), बी.एड.- विशेष शिक्षा (बहु-दिव्यांगता) (पायलट आधार पर), पी.जी. डिप्लोमा-विकासात्मक थैरेपी, (बहु-दिव्यांगता शारीरिक एवं तंत्रिका),
7.	प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स	मास्टर- प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, स्नातक-प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, डिप्लोमा- प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम-प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स.
8.	समाज आधारित पुनर्वास	समाज आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा
9.	पुनर्वास मनोविज्ञान	एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान), पी.जी. डिप्लोमा (पुनर्वास मनोविज्ञान).
10.	नैदानिक मनोविज्ञान	एम.फिल. (नैदानिक मनोविज्ञान), व्यवसायिक डिप्लोमा-नैदानिक मनोविज्ञान, सायं डी- नैदानिक मनोविज्ञान.
11.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एवं डिसोर्डर	एम.एड.- विशेष शिक्षा (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एवं डिसोर्डर) (पायलट आधार पर), बी.एड.-विशेष शिक्षा (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसोर्डर) डी.एड.-विशेष शिक्षा (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसोर्डर).
12.	पुनर्वास थैरेपी	डिप्लोमा-पुनर्वास थैरेपी, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम-पुनर्वास थैरेपी.
13.	व्यवसाय परामर्श एवं पुनर्वास सामाजिक कार्य/प्रशासन	मास्टर-दिव्यांगता पुनर्वास प्रशासन, एम.ए.-सामाजिक कार्य-दिव्यांगता अध्ययन एवं कार्य, मास्टर पुनर्वास विज्ञान, एम.एस-सी. (मनो-सामाजिक पुनर्वास), स्नातक- पुनर्वास विज्ञान, स्नातकोत्तर डिप्लोमा-दिव्यांगता पुनर्वास एवं प्रबंधन उच्च डिप्लोमा-बाल मार्गदर्शन एवं परामर्श.
14.	परिचर्या प्रदाता	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम-परिचर्या प्रदाता.
15.	विशेष शिक्षा	कला स्नातक/वाणिज्य स्नातक/विज्ञान स्नातक, शिक्षा स्नातक, विशेष शिक्षा.

दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश:

संबंधित संस्थाओं द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबद्ध विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं और राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड के निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीधे दिया जाता है. शैक्षिक सत्र प्रत्येक वर्ष मई / जून में प्रारंभ होता है और प्रवेश-प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष अप्रैल में प्रारंभ की जाती है. इसलिए किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संबंधित संस्था से सीधे सम्पर्क किया जा सकता है. राष्ट्रीय संस्थाओं/संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों/विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों/एन.जी.ओ./कॉलेजों के सहयोग से वर्तमान में प्रमाणपत्र से लेकर एम.फिल. स्तर तक के 60 कार्यक्रम चलाए जाते हैं.

क्र. सं.	मूल योग्यता	कार्यक्रम का स्तर	पाठ्यक्रम के विवरण	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि
1.	दसवीं	प्रमाणपत्र स्तर	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1 वर्ष
2.	10+2	डिप्लोमा स्तर	डी.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधा)/बौद्धिक दिव्यांगता/दृष्टि बाधा/ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार/सेरेब्रल पल्सी/बधिर/मूक)	2 वर्ष
3.	10+2 (विज्ञान)	डिग्री स्तर	बी.एस.एस.एल.पी./बी.पी.ओ. जैसे स्नातक कार्यक्रम	4 वर्ष/ 4½वर्ष
4.	स्नातक	स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर	डिग्री कार्यक्रम जैसे- बी.एड.- विशेष शिक्षा (श्रवण बाधा/शिक्षण दिव्यांगता/ बौद्धिक दिव्यांगता/बहु-दिव्यांगता/दृष्टि बाधा/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार/सेरेब्रल पल्सी	2 वर्ष
5.	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम जैसे एम.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधा/शिक्षण दिव्यांगता/बौद्धिक दिव्यांगता/बहु-दिव्यांगता/ दृष्टि बाधा/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार)	2 वर्ष
6.	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर कार्यक्रम एम.ए.एस.एल.पी./ एम.पी.ओ./एम.डी.आर.ए./एम.ए.डी.आर.	2 वर्ष
7.	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर एवं उच्च	नैदानिक मनोविज्ञान/पुनर्वास मनोविज्ञान/ विशेष शिक्षा में एम.फिल.	2 वर्ष

विशेष संस्थान

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान, देहरादून; राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता; राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान, सिकंदराबाद (तेलंगाना); अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई; स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक; राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान, चेन्नै; भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, अखिल भारतीय भौतिकीय औषधि एवं पूनर्वास संस्थान, मुंबई, अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर; केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची एवं संयुक्त क्षेत्रीय दिव्यांगजन केन्द्र, श्रीनगर, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, सुंदरनगर, पटना, अहमदाबाद, कोझिकोड, देवंगीर, नेल्लोर, राजनंद गांव, नागपुर, रांची तथा त्रिपुरा दिव्यांगता अध्ययन से संबद्ध विषयों में उच्चतर अध्ययन एवं अनुसंधान की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं.

पूरे भारत में लगभग 700 आर.सी.आई. मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त, इनमें से कुछ सुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिव्यांगता अध्ययन में नियमित पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; डॉ. शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ; एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुंबई; पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़; गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर; गुजरात न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर; सरदार पटेल विश्वविद्यालय, आणंद; कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय,

(शेष पृष्ठ 53 पर)

दिव्यांगजन पुनर्वास...

(पृष्ठ 52 का शेष)

कुरूक्षेत्र; आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम; डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, श्री काकुलम जिला; हिमालयी विश्वविद्यालय, ईटानगर जिला; अरुणाचल अध्ययन विश्वविद्यालय, जिला-लोहित; मगध विश्वविद्यालय, गया; एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटेनरी विश्वविद्यालय, गुडगांव; कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर; मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल; कालीकट विश्वविद्यालय, मलाप्पुरम; स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर, पीपल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, कोयम्बत्तूर; श्री रामचंद्र विश्वविद्यालय, चेन्नै; कलसलिंगम विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, अलगप्पा विश्वविद्यालय कराइकुड़ी (तमिलनाडु); मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडइकनाल डिंडिगल जिला (तमिलनाडु); आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, त्रिपुरा (पश्चिम); जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय, चित्रकूट; एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली; गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर; शोभित विश्वविद्यालय, मेरठ; संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा और कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता.

खुले एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अध्ययन स्थान

नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, कुछ राज्य खुले विश्वविद्यालय आर.सी.आई. के सहयोग से विशेष शिक्षा में खुली तथा दूरस्थ अध्ययन पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं. इनमें मध्य प्रदेश भोज खुला विश्वविद्यालय, भोपाल, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद; नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय, कोलकाता; डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, अहमदाबाद; पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग; तमिलनाडु खुला विश्वविद्यालय, चेन्नै; कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय, मैसूर; डॉ. बी.आर. अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, मैसूर, हैदराबाद; यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय; नासिक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा और उत्तराखंड खुला विश्वविद्यालय, नैनीताल शामिल हैं.

अनुसंधान अवसर

दिव्यांगता एक अनुसंधान उन्मुखी विषय है जो उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान के असीम अवसर देता है. भारत में सी.आर.सी., विशेषज्ञ राष्ट्रीय संस्थानों तथा विदेश में अनुसंधान के अवसर उपलब्ध हैं. पी.एच.डी. करने के लिए यू.जी.सी. की अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है. अनुसंधान पुनर्वास व्यवसायी उपलब्ध अध्ययन, डाटा एकत्र करने, परिणाम की जांच करने और उसके बाद अपनी थिसिस/पेपर में रिपोर्ट निष्कर्ष हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं.

सफलता मंत्र

पुनर्वास व्यवसायी के रूप में सफल कॅरिअर के लिए व्यापक अवलोकन, लोगों की सहायता करने की तत्परता, मजबूत संचार कौशल, विश्लेषिक क्षमता, धैर्य एवं लगन होना आवश्यक है. दिव्यांगजनों के प्रति मूल संवेदनशीलता तथा सोच में नैतिकता होना भी जरूरी है. इन सभी कौशलों एवं गुणों का विकास सकारात्मक एवं सच्चे प्रयासों के साथ किया जा सकता है. दिव्यांगता अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको अच्छे, संतुलित एवं शांतिपूर्ण जीवन हेतु दिव्यांगजनों की सहायता करने, मानसिक समस्याओं को दूर करने तथा लोगों के सामाजिक, पारिवारिक एवं कार्य-स्थल संबंधों को मजबूत करने में संतोष प्राप्त होता है. आमतौर पर यह फैंसी पदनाम और नियमित पदोन्नतियों वाला कॅरिअर नहीं है, इसलिए आपको इस विषय में सच्ची रुचि है तो आप दिव्यांगता अध्ययन में कार्य एवं कॅरिअर का आनंद प्राप्त करेंगे. तथापि, दिव्यांगता अध्ययन में आपकी स्नातक योग्यता बैंकिंग, सिविल सेवाओं, सामान्य अध्यापक आदि जैसे अन्य रोज़गार के लिए भी उपयोगी होगी.

इस लेख के प्रथम लेखक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सी.आर.सी., पटना में पुनर्वास अधिकारी हैं (ई-मेल- (devnkumar@gmail.com) और एमिटी विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. कर रहे हैं और लेखिका डॉ. तनु टंडन एमिटी शिक्षा संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं. (ई-मेल- tanu tandon@gmail.com) व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं.

72वें स्वतंत्रता दिवस...

(पृष्ठ 2 का शेष)

हैं. उसको ले करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं.

53. मछली उत्पादन के मामलों में हमारा देश दुनिया में second highest हो गया है.
54. आज शहद का export दोगुना हो गया है.
55. गन्ना किसानों को खुशी होगी कि हमारे ethanol का उत्पादन तीन गुना हो गया है.
56. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जितना महत्व कृषि का है, उतना ही अन्य कारोबारों का है. इसलिए हम women self help group द्वारा, अरबों-खरबों रुपयों के माध्यम से, गांव के जो संसाधन हैं, गांव का जो सामर्थ्य है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं.
57. खादी की बिक्री पहले से दोगुनी हो गई है.
58. देश का किसान अब solar farming पर भी बल देने लगा है. खेती के सिवाय वो solar farming से बिजली बेच कर भी कमाई कर सकता है.
59. देश में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ मानव की गरिमा भी हो, ये supreme होती है. हम उन योजनाओं को ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि व्यक्ति सम्मान से जिंदगी जी सकें, गर्व से जिंदगी जी सकें.
60. WHO की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चे मरने से बच गए हैं.
61. गांधीजी ने सत्याग्रही तैयार किए थे और गांधीजी की प्रेरणा ने स्वच्छाग्रही तैयार किए हैं. बापू के 150वीं जयंती पर पूज्य बापू को स्वच्छ भारत के रूप में, ये हमारे कोटि-कोटि स्वच्छाग्रही, कार्यान्जलि समर्पित करेंगे.
62. देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को, आरोग्य की सुविधा मिले इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़े अस्पतालों में सामान्य लोगों को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनआरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है.
63. आयुष्मान भारत योजना के तहत, 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब-करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना, health assurance देने की योजना है. ये हम इस देश को देने वाले हैं.
64. ये technology driven व्यवस्था है, transparency पर बल हो, किसी सामान्य व्यक्ति को ये अवसर पाने में दिक्कत न हो, रुकावट न हो इसमें technology intervention बहुत महत्वपूर्ण है. इसके लिए technology के टूल बने हैं.
65. 25 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री जनआरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति को अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा.
66. देश में भी मध्यमवर्गीय परिवारों के लिये, नौजवानों के लिये आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे. tier 2 tier 3 cities में नए अस्पताल बनेंगे. बहुत बड़ी मात्रा में medical staff लगेगा. बहुत बड़े रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे.
67. हमने पिछले चार साल में गरीब को सशक्त बनाने की दिशा में बल दिया है. अभी-अभी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है. उन्होंने कहा है कि पिछले दो वर्ष में भारत में पांच करोड़ गरीब, गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं.
68. गरीब को सशक्त बनाने के लिये हमनें अनेक योजनाएं बनाई है. योजनाएं तो बनती हैं. लेकिन बिचौलिये, कटकी कम्पनी उसमें से मलाई खा लेते हैं. ग़रीब को हक मिलता नहीं है.
69. सरकार leakages बंद करने में लगी है, इस सरकार ने इसको रोका है. भ्रष्टाचार, कालेधन, ये सारे कारोबार रोकने की दिशा में हमने कदम उठाया है. इसके परिणामस्वरूप करीब 90 हज़ार करोड़ रुपया सरकारी खज़ाने में आया है.
70. जो ईमानदार व्यक्ति कर देता है उन पैसों से ये योजनाएं चलती हैं. इन योजनाओं का पुण्य अगर किसी को मिलता है तो सरकार को नहीं, मेरे ईमानदार करदाताओं को मिलता है, Tax payer को मिलता है.
71. देश में 2013 तक, यानी पिछले 70 साल की हमारी गतिविधि का परिणाम था, कि देश में direct Tax देने वाले 4 करोड़ लोग थे. लेकिन आज यह संख्या करीब-करीब दो गुना हो करके पौने सात करोड़ हो गई है.
72. 70 साल में हमारे देश में जितने indirect tax में उद्यमी जुड़े थे वो 70 साल में 70 लाख का आंकड़ा पहुंचा है. लेकिन सिर्फ GST आने के बाद पिछले एक वर्ष में यह 70 लाख का आंकड़ा एक करोड़ 16 लाख पर पहुंच गया.
73. हम काला धन, भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे. कितनी ही आफतें क्यों न आएं, इस मार्ग को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं. अब दिल्ली के गलियारों में power broker नज़र नहीं आते हैं.
74. हमने प्रक्रियाओं को transparent बनाने के लिए online प्रक्रिया चालू की है. हमने IT Technology का उपयोग किया है.
75. भारतीय सशस्त्र सेना में short service commission के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थाई commission की मैं आज घोषणा करता हूं.
76. बलात्कार पीड़ादायक है, लेकिन बलात्कार की शिकार उस बेटी को जितनी पीड़ा होती है, उससे लाखों गुना पीड़ा हम देशवासियों को, देश को, जनता को, हर एक को पीड़ा होनी चाहिए.
77. इस राक्षसी मनोवृत्ति से देश और समाज को मुक्त कराना होगा. कानून अपना काम कर रहा है. हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है.
78. तीन तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की ज़िंदगी को तबाह करके रखा हुआ है. और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुज़ारा कर रही हैं. संसद के मानसून सत्र में Parliament में कानून लाकर के हमारी इन महिलाओं को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया गया था. लेकिन, अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते.
79. हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों, राज्य सरकारों की सक्रियता और केन्द्र तथा राज्यों की विकास योजनाओं के कारण, जन-साधारण को जोड़ने के प्रयासों का परिणाम है कि आज कई वर्षों के बाद त्रिपुरा और मेघालय- दो राज्य पूरी तरह armed forces special power act से मुक्त हो गए हैं.
80. जम्मू और कश्मीर के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है वही रास्ता सही है. उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं. हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.
81. आने वाले कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों को अपना हक जताने का अवसर मिलेगा. अपनी स्वयं की व्यवस्था खड़ी करने का अवसर मिलेगा. अब तो भारत सरकार से इतनी बड़ी मात्रा में वो पैसे सीधे गांव के पास जाते हैं तो गांव को आगे बढ़ाने के लिए वहां के चुने हुए पंच के पास ताकत आएगी. इसलिए निकट भविष्य में पंचायतों के चुनाव हों, स्थानीय नगर-निकायों के चुनाव हों, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं.
82. हर भारतीय के पास अपना घर हो - housing for all. हर घर के पास बिजली कनेक्शन हो - Power for all. हर भारतीय को धुएं से मुक्ति मिले रसोई में, और इसलिए cooking gas for all. हर भारतीय को जरूरत के मुताबिक जल मिले और इसलिए water for all. हर भारतीय को शौचालय मिले और इसलिए sanitation for all, हर भारतीय को कुशलता मिले और इसलिये skill for all, हर भारतीय को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसलिये health for all, हर भारतीय को सुरक्षा मिले, सुरक्षा का बीमा सुरक्षा कवच मिले और इसलिए insurance for all, हर भारतीय को इंटरनेट की सेवा मिलें और इसलिए connectivity for all, इस मंत्र को ले करके हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं.
83. हमें ठहराव मंजूर नहीं है, हमें रुकना मंजूर नहीं है और झुकना तो हमारे स्वभाव में नहीं है. ये देश न रुकेगा, न झुकेगा, ये देश न थकेगा, हमें नई ऊंचाइयों पर आगे चलना है, उत्तरोत्तर प्रगति करते चलना है.

(पत्र सूचना कार्यालय से साभार)